न्यायालय, अवर न्यायाधीश, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर

हकियत वाद–157 / 2014

मो0 फुलगमिया देवी वगैरह.................................वादीगण

बनाम

सोनखा देवी वगैरह...प्रतिवादीगण

30.07.24 अभिलेख आज वादी सं0–2 की ओर से आदेश दिनांक–22.05.2023 को वापस लेने हेतु दाखिल आवेदन दिनांक–07.07.2023 पर सुनवाई पश्चात् आदेशार्थ प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादी की ओर से उपरोक्त आवेदन का कोई प्रत्युत्तर दाखिल नहीं है।

वादी ने अपने आवेदन में निवेदन किया है कि वर्तमान वाद में वादी प्रतिवादी सं0–4 थी, परन्तु वादी ने मुकदमें में पैरवी करना छोड़ दिया, क्योंकि उनको कोई दिलचस्पी नहीं थी जिसके बाद वादी ने विवादित भूमि के अधिकार व स्वामित्व वादी सं0–2 में निहित कर दिया। वादी की ओर से दिनांक–17.03.2023 को विवाद्यक दाखिल किया गया जिसके पश्चात् दिनांक–10.04.2023 को वादी साक्ष्य हेतु नियत किया गया तथा वादी ने दिनांक–12.05.2023 को साक्षी सूचि के साथ समयावेदन भी दाखिल किया गया, जो अभिलेख पर मौजूद है, परन्तु गवाह न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक–22.05.2023 को वादी का साक्ष्य बन्द कर दिया गया और प्रतिवादी साक्ष्य हेतु नियत किया गया जबकि वादी का समयावेदन का कहीं कोई उल्लेख न ही किया गया है और न ही समयावेदन खारिज ही किया गया है। वादी का दस्तावेजीय एवं मौखिक साक्ष्य नहीं होने से अपूर्णीरू क्षति होगी। अतः उपरोक्त आवेदन को स्वीकृत करने की कृपा की जाए।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि वर्तमान वाद में विवाद्यक गठन के पश्चात् वादी साक्ष्य हेतु लंबित चला आ रहा था तथा वादी दिनांक–12.05.2022 को साक्षी सूचि दाखिल किया, परन्तु उसके बाद भी वादी ने कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिसके पश्चात् दिनांक–22.05.2023 को वादी का साक्ष्य बन्द किया गया और प्रतिवादी साक्ष्य पर नियत किया गया। वादी का लंबे समय से साक्ष्य नहीं देना उनकी उपेक्षापूर्ण मंसा को दर्शाता है, परन्तु अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विवादग्रस्त वास्तविक प्रश्नों के अवधारण एवं वाद के त्वरित निष्पादन के लिए वादी साक्ष्य का एक अवसर दिया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। तदनुसार वादी द्वारा दाखिल उपरोक्त आवेदन को मो0 1000/– रुपये खर्च के साथ स्वीकृत करते हुए आदेश दिनांक–22.05.2023 को वापस लिया जाता है तथा वादी को पुनः साक्ष्य देने हेतु निर्देश दिया जाता है। वादी अगली निश्चित तिथि को साक्ष्य हेतु सदेह उपस्थित रहें।

वाद दिनांक–   वास्ते पुनः वादी साक्ष्य हेतु नियत किया जाता है।

अवर न्यायाधीश,

शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर।